न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/32/2018	10–05–2018	23–01–2019

01–कंचनलाल मीणा पुत्र श्रवण कुमार मीणा जाति मीणा निवासी 17, मालवीय नगर, अलवर तहसील व जिला अलवर राज हाल निवासी भोपाल, (मध्यप्रदेश)।

–अपीलाण्ट

बनाम

01–नायब तहसीलदार मालाखेड़ा, जिला अलवर राज।

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक 30.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 23/2017

उपस्थितः–

01–श्री शैलेन्द्र भार्गव –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 30.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम माधोगढ़ की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 118/0.05 है0 एवं 119/8.15 है0 में 2.52 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम माधोगढ़ की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 118/0.05 है0 एवं 119/8.15 है0 में 2.52 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.10.2017 को पटवारी द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को अतिक्रमी माना है। अपीलांट ग्राम डोरोली में निवास नहीं करता है, बल्कि 17, मालवीय नगर, अलवर तहसील व जिला अलवर में निवास करता है। भारत सरकार में मुलाजिम होने के कारण वर्तमान में भोपाल, मध्यप्रदेश में निवास करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनैतिक द्वेष के कारण बिना गौर किये अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 19.22 है0 बारानी दोयम व खसरा नम्बर 110 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम माधोगढ तह0 मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व खातेदार लाजवन्ती व कृष्ण कुमार निवासी घेघोली की आराजी 28 बीघा 3 बिस्वा का हिस्सा था। उक्त खातेदारान् द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 17.04.2004 को आराजी का विक्रय अपीलांट को कर दिया किन्तु वन विभाग द्वारा एनओसी प्राप्त शर्त होने के कारण विक्रय पत्र पंजीबद्ध किया जाना बाकी है। विक्रय पूर्णतया वैध है। वर्ष 1984 के करीब एक संयुक्त सर्वे राजस्व विभाग व वन विभाग द्वारा किया गया, जिसमें ग्राम के सम्पूर्ण रकबे की पैमाईश की गई। प्रार्थी की आराजी जो नहर के पास स्थित है की भी पैमाईश की गई व सीमांकन किया गया। तत्पश्चात् सर्वे के मुताबिक आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा स्वंय की खातेदारी की आराजी की सुरक्षा के लिए बाउण्ड्री वॉल बनाई गई थी, जो आज भी कायम है। परन्तु राजस्व विभाग द्वारा खातेदारी की आराजी पर सीमांकन का झूटा विवाद किया जाता है। पैमाईश व सीमांकन के लिए अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अलवर के यहां दिनांक 02.04.2018 को प्रस्तुत कर दिया था। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 118 व 119 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें। अपील के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(2) पेज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र
अलवर (राज0)

1348, आरआरडी 1992 पेज 304, आरबीजे 2009 पेज 428, आरबीजे 1995 पेज 460 एवं आरबीजे 2004 पेज 83 पेश की है।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध दिनांक 04.04.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं अपीलांट द्वारा पेश राजस्व वाद की प्रति जो सहायक कलक्टर अलवर में विचाराधीन है का अवलोकन किया गया। अपीलांट का न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में राजस्व वाद विचाराधीन है। अपीलांट के विधिक अधिकार उक्त वाद से ही तय होने है। अपीलांट द्वारा बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज के विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में उक्त आराजी से संबंधित विचाराधीन वाद का जो निर्णय होगा उसके गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर (राज०)
ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)